पत्रांक–7/पद सृजन–15–5/2014सा0प्र0........................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग द्वारा
ारिक रूप
रामर्शित।

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– **भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल में लोकायुक्त बिहार के सचिव के एक पद का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या–13919 दिनांक 19.12.2012 द्वारा लोकायुक्त बिहार के प्रधान सचिव (बिहार उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल में) के एक पद के सृजन की अनुशंसा प्राप्त है।

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के कंडिका–10 में प्रावधान है कि **लोकायुक्त के सचिव की नियुक्ति लोकायुक्त के अनुशंसा से की जायेगी। सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग में स्थायी रूप से आवंटित अधिसमय वेतनमान का होगा, या राज्य वरीय न्यायिक सेवा के अधिसमय वेतनमान का होगा, और वह वैसा वेतन पायेगा जो उसे सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं होने पर प्राप्त होता।** पूर्व से गठित लोकायुक्त के सचिव का पद भा0प्र0से0 के सुपर टाईम स्केल का है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के उपर्युक्त प्रावधान के मुताबिक लोकायुक्त कें सचिव का पद भा0प्र0से0 अथवा राज्य वरीय न्यायिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के लिए चिन्हित है। अधिनियम के अनुसार पूर्व से भा0प्र0से0 के लिए सृजित पद के विरूद्व राज्य वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के पदस्थापन अव्यवहारिक होगा।

2. अतः उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत;

(क) पूर्व से सृजित लोकायुक्त के सचिव के पद को प्रत्यर्पित किया जाता है।

(ख) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के प्रावधान के मुताबिक लोकायुक्त के सचिव का एक पद, भा0प्र0से0 अथवा राज्य वरीय न्यायिक सेवा के अधिसमय वेतनमान में संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार रु0 18,22,511/–(अठारह लाख बाईस हजार पाँच सौ ग्यारह) के वार्षिक तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार उच्च न्यायिक सेवा में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद के व्यय शीर्ष एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का निर्धारण लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, वित्त विभाग, बिहार के परामर्श से करेगा।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः—व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–5/2014सा0प्र0 4888 /पटना–15, दिनांक 30.3.15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2015 के मद संख्या–02 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/15
सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल में लोकायुक्त बिहार के सचिव के एक पद का सृजन पर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक वेतन	मं0 भत्ता@ 107 %	कुल वार्षिक व्यय (6 + 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	लोकायुक्त बिहार के सचिव (भारतीय प्रशासनिक सेवा/ बिहार उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल में)।	01	भा0प्र0से0 का वेतनमान 37400–67000 ग्रेड वेतन 10000 अथवा न्यायिक सेवा का वेतनमान 70290–1540–76450	73370/–	8,80,440/–	9,42,071/–	18,22,511/–
	कुल	01				योग	18,22,511/–

कुल वार्षिक व्यय का योग –18,22,511/–(अठारह लाख बाईस हजार पाँच सौ ग्यारह) रूपये मात्र।

नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर भा0प्र0से0/न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

3/3/15

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/VYAY VIVARANI